भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1065

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>कारपोरेट क्षेत्र को रियायत</u>

1065. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

श्री फिरोज वरूण गांधी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधि के उपयोग की गणना हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उन कंपनियों को जो अपने सीएसआर का हिस्सा नियमित अंतराल पर अदा कर रही हैं उनको कर में छूट/रियायत देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान की गई रियायत/छूट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकार द्वारा दी गई छूट की तुलना करते हुए कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर संबंधी कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कॉरपोरेट की विकास दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किन-किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है और देश में निवेश को बढ़ाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 (http:/www.mca.gov.in) अधिसूचित की है जिसमें कंपनियों के द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के उपयोग की सूचना देने के लिए प्ररूप निर्धारित किया गया है।

.....2/-

(ख): कंपनियों को सीएसआर में किए गए व्यय के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कोई विशिष्ट कर छूट/रियायत नहीं है। तथापि कंपनियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे - ग्रामीण विकास परियोजनाओं, कौशल विकास परियोजाओं, कृषि विस्तार परियोजनाओं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष इत्यादि में किए गए व्यय जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट शर्तों के पूरा करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संगत प्रावधानों में कर छूट हेतु अर्हक होगे।

(ग): मंत्रालय, कंपनी अधिनियम को कार्यान्वित करता है। यह कारपोरेट की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कार्य नहीं करता है।

(घ): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कारपोरेट की वृद्धि दर का विवरण राज्य क्षेत्र/संघ शासित-वार अनुलग्नक में दिया गया है।

(ड.) यह मंत्रालय न तो प्राथमिकता क्षेत्र न ही कंपनियों की निवेश नीति का कार्य देखता है।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा के दिनांक 04 दिसंबर, 2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1065 के भाग (घ) में संदर्भित उत्तर का अनुलग्नक

पिछले तीन वित्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रजिस्ट्री में कंपनियों की संख्या के अनुसार कारपोरेट की विकास दर (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण)

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशतता के अनुसार विकास)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.90	14.73	11.46
2.	आन्ध्र प्रदेश	7.08	7.38	9.17
3.	अरुणाचल प्रदेश	4.94	5.67	1.40
4.	असम	5.19	3.71	2.11
5.	बिहार	9.99	13.08	8.21
6.	चंडीगढ़	6.06	5.23	3.24
7.	छत्तीसगढ़	7.41	7.53	4.35
8.	दादर एवं नगर हवेली	4.19	5.80	3.15
9.	दमन एवं दीव	2.91	7.41	2.30
10.	दिल्ली	6.59	6.45	4.08
11.	गोवा	3.99	3.51	2.15
12.	गुजरात	6.12	6.56	3.87
13.	हरियाणा	15.04	14.78	9.80
14.	हिमाचल प्रदेश	6.43	6.66	4.47
15.	जम्मू और कश्मीर	8.81	8.85	4.63
16.	झारखंड	10.57	12.53	7.46
17.	कर्नाटक	7.34	8.14	6.39
18.	केरल	8.12	7.99	4.32
19.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	8.54	7.87	4.49
21.	महाराष्ट्र	5.96	6.16	3.71
22.	मणिपुर	8.12	11.54	9.93
23.	मेघालय	4.22	2.77	1.91
24.	मिजोरम	5.62	2.20	5.21
25.	नागालैंड	6.03	4.13	2.02
26.	उड़ीसा	9.33	7.25	4.53
27.	पुदुचेरी	3.25	3.39	2.55
28.	पंजाब	4.81	4.97	2.86
29.	राजस्थान	8.59	8.01	3.67
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
31.	तमिलनाडु	5.98	5.85	4.23
32.	तेलंगाना	7.93	7.88	5.21
33.	त्रिपुरा	13.41	12.66	5.39

34.	उत्तर प्रदेश	11.97	13.20	9.15
35.	उत्तराखंड	10.33	11.20	7.15
36.	पश्चिम बंगाल	7.23	5.48	2.24

टिप्पणी: वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की गणना के लिए वर्ष के मार्च के अंत में कंपनियों की संख्या की गणना की गई है।

*****